मु.नं.–28 / 2021 GCMS ID-2021/41 ता.रजु–01.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर ग्राम व पोस्ट कंजोली, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली– अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021, 19.07.2021, 26.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर दिनांक 14.12.2020 को रजिस्ट्री क्रमांक RR295825831IN व RR295825615IN को प्रेषित दो शिकायती पत्र तथा दिनांक 28.05.2018 को रजिस्ट्री क्रमांक RR375255909IN द्वारा प्रेषित शिकायतों पर की गई कार्यवाही, शिकायतों पर किनके द्वारा कार्यवाही करनी थी का विवरण, शिकायतों के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये आदेशों व निर्देशों की प्रतियां आदि कुल 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि आंशिक सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन निर्धारित समय अवधि में लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली व तहसीलदार टोड़ाभीम को पत्रांक 354 दिनांक 24.05.2021 से अंतरित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त पत्रांक 285 दिनांक 19.04.2021 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध 22 पृष्ठीय सूचना मय बिन्दुबार उत्तर अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवाई जा चुकी है। अंत में अपील, अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवाते हुए 22 पृष्ठीय सूचना निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली